HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/1736

Jabalpur, dated 04.5.2016.

The copies of the Notifications of the Government of M.P. F.No.17(E)8-2012/21-B(One)1487/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 as per the provisions of Section 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 read with Section 3(1) of the Prevention of Corruption Act and F.No.1-1-88/21-B(One)/1442/16, Bhopal, dated 03.5.2016 as per the provisions of Section 3(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 forwarded to;

- 1. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
- 2. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
- 3. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information of the Registrar General,
- 4. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
- 5. The District and Sessions Judges (All in the State) for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer.
- 7. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.

8. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2016

फा.क्रमांक 17 (ई) 8—2012 / इक्कीस—ब (एक) 1487 / 2016, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई) 8—2012 / इक्कीस—ब (एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3(1)के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनि.), द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	जबलपुर

NOTIFICATION

F.No-17(E)8-2012-/1969/21-B(1)/1487/2016— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011, (No. 8 of 2012) read with sub section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No.49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One), dated 2nd March, 2012

which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012, namely :-

(Amendment)

In the said notification, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of Judge	Name of special court constituted u/s 3(1)0f the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011	head quarter
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	hri Rajesh Kumar Shrivastava Special Court No. 1, Jabalı (Sr.), II nd Additional Sessions Jabalpur Judge, Jabalpur		Jabalpur."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 17(ई) 8 / 2012 / 21—ब(एक) 1487 / 2016, भोपाल, दिनांक.. ॐ / 05 / 2016 प्रतिलिपि:—

- 1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. डी / 1204 / III-6-4/57-42 दिनांक 12.04.2016 के संदर्भ में,
- 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
- 3. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राज पत्र भाग–1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर नेट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

> ५ (आर.के.वाणी) अडावा सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

मोपाल, दिनांक... रे मई, 2016

फा. क्रमांक 1–1–88/21–ब(एक)/1442/16, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1–1–88/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो म.प्र. राजपत्र भाग–1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् –

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् —

अनुसूची

अनुकमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
"24.	सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	झाब्आ
33.	सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	राजगढ़."

NOTIFICATION

F-No-1-1-88/21-B(1)/1442/016— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No-1-1-88/ XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:-

Amendment

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 24 and 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
"24.	Sessions Judge, Jhabua	Jhabua
33.	Sessions Judge, Rajgarh	Rajgarh."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1—1—88/21—ब(एक)/1442/16, भोपाल,दिनांक ... 3/5/2016 प्रतिलिपि:—

- 1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. B / 1572 / III-6-4/57, दिनांक 10.04.2016, के संदर्भ में,
- 2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
- 3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश,झाबुआ एवं राजगढ़,
- 5. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राजपत्र भाग-1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

> १ (आर.के.वाणी) अश्री १५ सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग